Form no III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **निम्बाहेडा**

यशवंत राव पिता गोरधन राव जाति मराठा बनाम तहसीलदार निम्बाहेड़ा

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र** मु.न. **144** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
23.05.2024	प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार उपस्थित। पक्षकारान की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण की बहस में प्रकट तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/–रू फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की भूमि से लगे हुये सभी पड़ौसी खातेदारों को सूचना–पत्र जारी करते हुये, उनकी की उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर, प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा मण्डा गुलफरोशान पटवार हल्का रानीखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा की 489 की आराजी नंबर 1498/907 रकबा 0.5430 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा Signature Not Verified Digitally signed by Vikas Pancholi Date: 2024.09.06 16:05:17 IST Reason: SelfAttested	